

**कार्यालय जिला कलक्टर, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा, डूंगरपुर**

क्रमांक:- सहायता/2024/699

दिनांक:- 28/11/24

श्रीमान शासन सचिव महोदय,  
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,  
राजस्थान जयपुर

विषय :- बजट आवंटन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मानसून वर्ष 2024 में क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत प्रस्ताव के संबंध में आपके कार्यालय पत्रांक Rajkaj 11102402 दिनांक 15-10-2024 द्वारा 353 कार्यों हेतु राशि रुपये 588.69 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी उक्त स्वीकृति के क्रम में इस कार्यालय पत्रांक 694 दिनांक 26.11.2024 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त कार्यकारी एजेन्सी से 273 कार्यों हेतु राशि 467.37 लाख तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई है विभागीय दिशा निर्देश अनुसार बजट मांग किए जाने के प्रावधान है।

अतः मानसून वर्ष 2024 में क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के मरम्मत हेतु राशि रुपये 467.37 लाख का आवंटन कराने का श्रम करावे।

संलग्न :- 1 प्रशासनिक स्वीकृति  
2 तकनीकी स्वीकृति

(दिनेश धाकड़)  
अति.जिला कलक्टर  
आपदा प्रबन्धन सहायता  
एवं नागरिक सुरक्षा  
डूंगरपुर

Digitally signed by Dinesh Chand  
Dhaker  
Designation : Additional Collector And  
Additional District Magistrate  
Date: 2024.11.28 11:57:28 IST  
Reason: Approved



कार्यालय जिला कलक्टर आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा, डूंगरपुर  
क्रमांक एफ.35 ( ) सहायता / बाढ़ / 2024 / 694

दिनांक :- 26.11.2024

**प्रशासनिक स्वीकृति**

जिले में मानसून वर्ष 2024 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुई क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक 11102402 दिनांक 15-10-2024 द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की शर्तों के क्रम में निम्नानुसार प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है।

| क्र.सं. | खण्ड का नाम | ब्लॉक का नाम | कार्य का विवरण | कार्यों की संख्या | राशि (लाखों में) |
|---------|-------------|--------------|----------------|-------------------|------------------|
| 1       | डूंगरपुर    | पालदेवल      | सड़क मरम्मत    | 50                | 92.89            |
|         |             | झौथरी        | सड़क मरम्मत    | 86                | 161.24           |
|         |             | दोवडा        | सड़क मरम्मत    | 137               | 213.24           |
| 2       | सागवाडा     | आसपुर        | सड़क मरम्मत    | 80                | 121.32           |
| कुल योग |             |              |                | 353               | 588.69           |

(अक्षरे रूपये पाँच करोड अटठायासी लाख उनसित्तर हजार मात्र)

इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 में निम्नलिखित बजट मद के माध्यम से किया जावे।

माग संख्या-34

2245-प्राकृतिक विपत्ती के कारण राहत।

02- बाढ़, चकवात आदि।

106- खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना।

08- (बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना।)

[01] - [सड़कों की मरम्मत एवं पुनः स्थापना]

21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) प्रतिबद्ध

उक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

- विभाग द्वारा प्रति किलोमीटर की दर से राशि का निर्धारण S.D.R.F. Norms अनुसार किया है अतः सा.नि. विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सड़कों Restoration पर न करे।
- वे सड़कें जो Defect Liability Period के तहत आती हैं उनकी मरम्मत S.D.R.F. से देय नहीं हैं।
- कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी के अनुमत होने आवश्यक हैं।
- इस आशय का प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत किया जाना है कि राज्य मद से मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग आप द्वारा कर लिया गया है।
- S.D.R.F. मद में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें।
- स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावे तथा कार्य प्रारम्भ किये जायें। कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें ताकि तात्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।



**Signature valid**

Digitally signed by Ankit Kumar Singh  
Designation : Collector & District  
Magistrate  
Date: 2024.11.26 12:11:00 IST  
Reason: Approved

7. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य की जाँच इस आशय की कराई जावेगी कि आपके विभाग द्वारा उक्त कार्य S.D.R.F. मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार किये हो। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उपखण्ड स्तरीय कमेटी से निरीक्षण कराकर निरीक्षण रिपोर्ट भी संलग्न करें।
8. उक्त राशि के व्यय वाउचर इस कार्यालय को प्रस्तुत करे ताकि भुगतान संबंधी कार्यवाही की जा सके।
9. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्संबंधी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
10. बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का आहरण नहीं किया जावेगा।
11. राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 8981275 दिनांक 16.07.2024 की पूर्ण पालना की जावें।

(अंकित कुमार सिंह)  
जिला कलक्टर,  
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता  
झुंजरपुर

क्रमांक एफ.35 ( ) सहायता / बाढ़ / 2024 / 694  
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

दिनांक :- 26.11.2024

1. संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त झुंजरपुर।
4. अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड सागवाड़ा / झुंजरपुर भेजकर लेख है कि प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम तकनीकी स्वीकृति जारी करना सुनिश्चित करे।
5. कोषाधिकारी कोष कार्यालय झुंजरपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर,  
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता  
झुंजरपुर

**Signature valid**

Digitally signed by Ankit Kumar Singh  
Designation : Collector & District  
Magistrate  
Date: 2024.11.26 12:11:00 IST  
Reason: Approved



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त डूंगरपुर

क्रमांक : 2036

दिनांक : 27/11/24

श्रीमान जिला कलक्टर,  
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता  
डूंगरपुर ।

Relief  
27 Nov. 24  
ADM

विषय:- मानसुन वर्ष 2024 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुई क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत कार्यों के तकमीने के संबंध में।

प्रसंग:- आप श्रीमान् कार्यालय पत्रांक 350/सहायता/बाढ़/2024/694 दिनांक 26.11.2024 की पालना में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मानसुन वर्ष 2024 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुई क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत कार्यों के निम्नलिखित विस्तृत तकमीने तकनीकी अनुमोदन कर पत्र के साथ संलग्न कर वित्तिय स्वीकृति जारी करवाने का श्रम करावे ।

| क्र.सं. | ब्लॉक   | कार्यों की संख्या | राशि रूपयें(लाखों में) |
|---------|---------|-------------------|------------------------|
| 1       | पालदेवल | 50                | 92.89                  |
| 2       | झोथरी   | 86                | 161.24                 |
| 3       | दोवडा   | 137               | 213.24                 |
|         | योग     | 273               | 467.37                 |

संलग्न:-1. विस्तृत तकमीने 2 प्रति  
2. कार्यों की सूची

भवदीय

(धर्मेन्द्र पायल)

अधीक्षण अभियन्ता,  
सा0नि0वि0 वृत्त डूंगरपुर